

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 33/2013/नागौर

2. अपील संख्या 34/2013/नागौर

.....अपीलार्थी.

मैसर्स सरोज एण्ड कम्पनी, नागौर।

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त-नागौर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.वी.पारीक अभिभाषक

.....व्यवहारी फर्म की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक

.....राजस्व विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.07.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी,, वृत्त नागौर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एवं 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने किये जाने को विवादित किया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एवं दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ₹ में)		
				कर	ब्याज	शास्ति
33/2013	111/19.11.12	30.11.11	2006-07	65,575	36,065	1,31,150
34/2013	112/19.11.12	30.11.11	2007-08	93,517	40,212	1,87,034

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी का पूर्व में कर निर्धारण दिनांक 14.10.2008/14.07.2009 को किया गया। जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी के द्वारा माल शुगर केंडी पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया जाना पाया जबकि इस अवधि में शुगर केण्डी की बिक्री में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से करदेयता निर्धारित है।

4. निर्धारण अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी वेट दर अनुसूची 1 से 6 से करमुक्त एवं करयोग्य वस्तुओं की कर दर अधिसूचित की गई। जिसके अनुसार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 12.5 प्रतिशत की कर दर देय है, जबकि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर जमा करवाया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कम कर जमा करवाया गया। वेट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर

लगातार.....2

दर 14 प्रतिशत से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा 9 प्रतिशत अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप निर्धारण अधिकारी ने 'Prosecutor should not be judge' की अवधारणा के तहत पत्रावली को स्थानान्तरित कर दी।

5. निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित किया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 से पृथक की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह अनुसूची-पंचम के तहत आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत से करयोग्य माल होने के कारण व्यवहारी के द्वारा गलत निर्वचन किया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा करके 9 प्रतिशत से राजकोष में कम कर अदा करते हुए परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये उपरोक्त तालिकानुसार मांगे सृजित की, उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलों को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा उक्त अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding chocolate' थी, जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containing Flavours, Creams and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevudutta Vksss Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001





(004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक व्यवस्थायें प्रस्तुत की गई:-

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assistant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala September 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।



लगातार.....4

8. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज एवं शास्ति को बहाल किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर आच्छादित बतलाते हुये उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।
9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत ब्राण्डेड कन्फेशनरी चाकलेट की बिक्री राज्य में की गई है। निर्धारण अधिकारी ने लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेशनरी का विक्रय किया गया है।
10. व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy नहीं होकर ब्राण्डेड कन्फेशनरी होना सिद्ध होता है। निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेशनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में उपरोक्त तालिकानुसार करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फेशनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णय में सुस्थापित किया है कि :-

"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unision is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."



लगातार.....5

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, जिसके हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होने से कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के आलोक में अपास्त करने की पुष्टि भी की गई है।

12. उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा जाता है एवं शास्ति को अपास्त किया जाता है।

13. परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है। जिसमें कर एवं ब्याज को यथावत रखा जाता है एवं शास्ति को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य